भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3461
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के अवसर

3461. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में , विशेषकर ग्रामीण और अल्प विकसित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रोजगार सृजन और कौशल विकास पहल में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा साझा करती है;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि महाराष्ट्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के युवा इन रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित हों; और

(घ) क्या सरकार की पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र-विशिष्ट कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की विशिष्ट औद्योगिक और कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण लोगों को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (मनरेगा) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों की आजीविका संवृद्धि है। योजना के तहत विगत तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में क्रमशः 711.17 लाख, 709.59 लाख और 968.96 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई इस मंत्रालय के तहत दो कौशल कार्यक्रम हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित/रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना	**डीडीयू-जीकेवाई**		**आरएसईटीआई**	
वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
2021-22	348	1612	19606	15251
2022-23	6403	3534	27322	21474
2023-24	5916	3617	30397	22961

इसके अलावा इस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण राजमिस्त्रियों के कौशल विकास के लिए एक औपचारिक तंत्र अर्थात 'ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण' कार्यक्रम भी विकसित किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 3 लाख राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से लगभग 37,000 महाराष्ट्र राज्य से हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) , राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को स्किल , रि-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्रदान करता है। विगत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा:

योजना	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
पीएमकेवीवाई	39864	14913	35257

जेएसएस	38479	52934	37273
एनएपीएस	146865	185999	263245
आईटीआई में सीटीएस	112997	121884	128333

(ग): सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य सहित देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के युवाओं को योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ मिले। मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति को आधार न मानते हुए मांग के अनुसार काम मिले। डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% निधि निर्धारित करने का प्रावधान है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत 15% अल्पसंख्यकों, 5% विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत ऊपर बताई गई योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण महिलाओं और अन्य वंचित समूहों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रदान किया जाता है। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था तथा परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में सामान्य लागत मानदंडों (सीसीएन) में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामान्य लागत मानदंडों के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे विशेष क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान भी किए गए हैं। पीएमकेवीवाई के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स , रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक भागीदारी आकर्षित करने के लिए संरचित किया गया है। इसके अलावा , महिलाओं के लिए 324 आईटीआई और 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हैं। जेएसएस योजना के तहत आयु में छूट देकर महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया जा रहा है और जुलाई 2018 से इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों का समावेशन कुल लाभार्थियों का लगभग 82% रहा है।

(घ): महाराष्ट्र राज्य सहित देश की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय 'सपोर्ट टु स्टेट इक्स्टेन्शन प्रोग्राम फॉर इक्स्टेन्शन रेफॉर्म्स' विषय पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में जाना जाता है और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना देश भर में

विकेन्द्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तारण प्रणाली को बढ़ावा देती है जिसका उद्देश्य किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला आदि कार्यक्रमों के माध्यम से विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करना और किसानों, कृषक महिलाओं और युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्तम कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है।

सरकार ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण (7 दिन की अवधि) प्रदान करना है ताकि उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। इस घटक का उद्देश्य कुशल श्रमशक्ति का एक पूल तैयार करने के लिए कृषि आधारित व्यावसायिक क्षेत्रों में महिला किसानों सहित ग्रामीण युवाओं को अल्पावधि कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। हाल ही में, एसटीआरवाई कार्यक्रम को एटीएमए कैफेटेरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के दौरान एक विशेष योजना "कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन" (एसएमएएम) तैयार की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देश में चार कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कार्यरत हैं जो किसानों , तकनीशियनों, स्नातक इंजीनियरों, उद्यमियों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कृषि उपकरणों के चयन, संचालन, मरम्मत और रखरखाव, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन पर कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बागवानी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) एक अनुमोदित घटक है जिसमें महिलाओं और युवाओं सहित किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया , स्टार्ट-अप इंडिया, औद्योगिक कॉरीडोर, व्यापार में सुगमता, एक जिला एक उत्पाद, संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना आदि विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

*****